

भारत में ग्रामीण बैंकिंग की समस्याएं और चुनौतियां

मंजुला वाधवा

आरबीआई भी नये उत्पादों के प्रावधानों, विनियामक दिशानिर्देशों में छूट और टिकाऊ एवं गणनीय समावेश प्रदान करने के लिए अन्य सहायक उपायों के माध्यम से मिशन मोड में वित्तीय समावेश की पहल कर रहा है। इनमें से कुछ कदम हैं: छोटी जमा और ऋण के लिए नो फ्रिल अकाउंट्स और जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) की सुविधा, 50,000 रुपये से कम की वार्षिक जमा के साथ खाते खोलने के इच्छुक लोगों के लिए मानदंडों को सरल बनाना। गरीबों और वंचितों को आसानी से ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें जीसीसी जारी करना। किसानों को परेशानी मुक्त और समय पर ऋण प्रदान करने के लिए सितंबर 2016 तक पांच करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किये गये हैं

रा

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था- भारत गांवों में बसता है, ग्रामीण विकास भारत के समूचे विकास की अनिवार्य शर्त है। आजादी के बाद से हमारे नीति निर्माताओं का यह निरंतर प्रयास रहा है कि भारत में ग्रामीण समृद्धि लाने पर पर्याप्त जोर दिया जाये। आजादी के 70 वर्षों के दौरान सहकारी ऋण संरचना से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी शाखाओं के विस्तार और 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत के साथ औपचारिक ग्रामीण संस्थागत संरचना में कई गुना बढ़ोतरी हुई। इसके बावजूद हमारी ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा अभी भी आर्थिक रूप से बहिष्कृत और साहूकारों के चुंगल में है जो गंभीर चिंता का विषय है।

आज भी बैंकों से अछूती विश्व की 24 प्रतिशत आबादी और दक्षिण एशिया के दो तिहाई लोग भारत में बसते हैं। गांवों की लगभग 31 करोड़ जनसंख्या को औपचारिक बैंकिंग सेवा प्राप्त नहीं है। जैसा कि एसएलबीसी की रिपोर्ट कहती है, 30 जून 2016 तक भारत के 6,00,000 में से 4,52,151 गांवों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की गयी हैं। इनमें से 14,976 को बैंक शाखाओं, 4,16,636 को बीसी (बिजनेस कॉरिसपोन्डेंट्स) और 20,539 को अन्य माध्यमों जैसे एटीएम, मोबाइल बैंक आदि के माध्यम से बैंकिंग से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त खराब भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा भी वित्तीय सेवाओं तक


पहुंच को प्रभावित करता है। ग्रामीण भारत के बिजलीकरण की वास्तविकता कुछ इस प्रकार है:

देश की औसत ग्रामीण साक्षरता दर 71 प्रतिशत है लेकिन यह भी सच्चाई है कि एक आम ग्रामीण को बैंक शाखा तक सफर करने के लिए पूरे एक दिन की मजदूरी का त्याग करना पड़ सकता है जो सुबह 10 बजे खुलकर शाम को पांच बजे बंद हो जाता है। ऋण और बचत खाते की सुविधा बढ़ाने के लिए बैंकों द्वारा गैर-सरकारी संगठनों, स्व-सहायता समूहों जैसे मध्यस्थों, बैंकिंग कॉरिसपोन्डेंट्स और बिजनेस फेसिलिटेटर्स जैसे अर्ध औपचारिक डिलिवरी चैनल्स का प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये चैनल अपने मौजूदा रूप में सीमित सेवाएं प्रदान करते हैं और इनमें कई समस्याएं भी हैं।

इसके अतिरिक्त कई बैंक ग्रामीण बाजार को एक आर्थिक मौके की बजाय एक रेगुलेटरी जरूरत के रूप में देखते हैं। इसका कारण यह है कि ग्रामीण परिवारों की आय और व्यय अनियमित होता है। इसलिए इन इलाकों में बैंकों के ऋण गैर-निष्पादक होते हैं। चूंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मानसून पर निर्भर रहती है। राजनीतिक पार्टियां लाभ पाने के लिए ऋण छूट भी देती हैं जिससे बैंकों का संकट बढ़ता है। गांवों में जमा राशि और ऋण दोनों का आकार कम होता है जिसका अर्थ यह है कि बैंकों को प्रत्येक शाखा में अधिक ग्राहकों की जरूरत होती है। चूंकि बहुत से ग्रामीण साक्षर नहीं

लेखिका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के चंडीगढ़ स्थित हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। इनके 400 से अधिक शोध प्रकाशित हैं और वे आकाशवाणी और दूरदर्शन की विभिन्न चर्चाओं में हिस्सा लेती रही हैं। ईमेल: manjula.jaipur@gmail.com

आरेख 1: भारत में बिजलीकरण: बिजली वाले ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत, राज्यवार



हैं और इसलिए वे एटीएम, फोन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग आदि का उपयोग नहीं कर पाते। वे बैंक शाखाओं पर निर्भर रहते हैं जिससे बैंकों की लागत बढ़ती है। साथ ही बैंकों को गांवों में अनियमित आय और आकस्मिक जरूरतों के चलते ऋण देना जोखिमपूर्ण लगता है। एक ओर गरीब लोगों को मूल बचत सेवाओं और उत्पादन लागत एवं आकस्मिक खर्चों के लिए छोटे ऋणों की जरूरत होती है, वहीं दूसरी ओर किसानों एवं किसान संगठनों को उत्पादन, इनपुट, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग के लिए बड़े ऋण तथा जोखिम से बचाव करने वाले उत्पादों जैसे जीवन या संपत्ति बीमा की आवश्यकता होती है।

वित्त के नये ग्रामीण आदर्श को इस बात पर आधारित होना चाहिए कि ग्रामीण लोग बैंक योग्य हैं। यह भी कि ग्रामीण ग्राहक केवल किसानों और अशिक्षित लोग नहीं हैं, बल्कि इसमें एक ऐसी पीढ़ी भी शामिल है जो तकनीक का उपयोग करती है और उसे अपना सकती है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि वित्तीय क्षेत्र समावेशी बने और इसमें टिकाऊ संस्थान शामिल हों जिनकी रूपरेखा मांग आधारित हो और जिनमें अनेक प्रकार के

वित्तीय उत्पाद एवं सेवाओं का प्रावधान हो। इस प्रकार एक समावेशी और टिकाऊ ग्रामीण वित्तीय प्रणाली विकसित करना बेहद चुनौतीपूर्ण है और इसमें कई व्यापक मुद्दे शामिल हों। इन्हें हम सात श्रेणियों में रख सकते हैं:

उत्पाद रणनीति

छोटे लेनदेन के लिए क्या ऐसे विविध उत्पादों और सेवाओं को विकसित किया जा सकता है जिनके लिए उत्पाद के लचीलापन, निरंतर उपलब्धता और सुविधा के साथ समझौता न किया जाए। किस किस प्रकार के वित्तीय उत्पादों को विकसित किया जा सकता है? किस किस प्रकार के वित्तीय उत्पादों की मदद से गरीबी को कम

आज जरूरत इस बात की है कि वित्तीय क्षेत्र समावेशी बने और इसमें टिकाऊ संस्थान शामिल हों जिनकी रूपरेखा मांग-आधारित हो और जिनमें अनेक प्रकार के वित्तीय उत्पाद एवं सेवाओं का प्रावधान हो। इस प्रकार, एक समावेशी और टिकाऊ ग्रामीण वित्तीय प्रणाली विकसित करना बेहद चुनौतीपूर्ण है और इसमें कई व्यापक मुद्दे शामिल हों।

किया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों की विकास दर में वृद्धि की जा सकती है?

प्रक्रियाएं

वंचितों और कमजोर तबकों तक पहुंचने और वित्तीय व्यवहार्यता को खतरे में डाले बिना ग्राहकों को आसानी से सेवाएं प्रदान करने में किस प्रकार की व्यावसायिक प्रक्रियाएं मददगार साबित हो सकती हैं? शाखा विहीन बैंकिंग की बाधाओं को दूर करने के लिए हम एक कुशल हब और स्पोक मॉडल कैसे डिजाइन कर सकते हैं?

साझेदारी

बैंकों में खाते न होने के कारण लोगों को वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्या बैंक-गैर-बैंक भागीदारी, जैसे बिजनेस कॉरिसपॉन्डेंट, एसएचजीज़, एमएफआई आदि वित्तीय सेवाओं की सुविधा और उपलब्धता को सहज बनाने में कुशल होते हैं?

संरक्षण

सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों को दुर्व्यवहार और दुरुपयोग से बचाने के लिए किन उपायों की आवश्यकता है? क्या इस क्षेत्र की संवेदनशीलता के मद्देनजर लोगों को ऋण संबंधी जोखिम से बचने के पर्याप्त रास्ते हैं? क्या ऋणदाता ऋण संस्कृति की अनिश्चितता से सुरक्षित हैं?

लाभपरकता

क्या व्यापार रणनीतियों और डिलीवरी मॉडल ग्रामीण ग्राहकों को सस्ती और स्वीकार्य सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ग्रामीण वित्त सेवा प्रदाता को निरंतर लाभ प्राप्त हो रहा है। हम एक उपयुक्त मूल्य निर्धारण मॉडल के माध्यम से ग्राहकों की भुगतान करने की इच्छा को कैसे टैप करते हैं?

उत्पादकता

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं की उत्पादकता को हम कैसे बढ़ाएं? वित्तीय सेवाओं के अधिक उत्पादक और सर्वश्रेष्ठ उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए वित्त के साथ अन्य संसाधनों को सहयोग देने के लिए आवश्यक क्या रणनीतियां (क्रेडिट प्लस दृष्टिकोण के अंतर्गत) हैं?

लोग

क्या ग्रामीण बैंक शाखा के कर्मचारी ज्ञान, कौशल और व्यवहार के संदर्भ में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं? क्या इन लोगों में संभावित ग्राहकों की पहचान करने और उन्हें समय पर सलाह देने एवं बैंकिंग की विविध सेवाएं प्रदान करने की क्षमता, समझ और प्रतिबद्धता है?

जैसा नेल्सन मंडेला ने कहा, “हमारी प्रगति की जांच इस बात से नहीं होती कि हम उन लोगों को बहुत कुछ देते हैं जिनके पास पहले से बहुत अधिक है। हमारी प्रगति इस बात से साबित होती है कि क्या हम उन लोगों को पर्याप्त लाभ प्रदान करते हैं जिनके पास बहुत कम है।” इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम इस परीक्षा में कहाँ ठहरते हैं- हमारी सरकार ने ग्रामीण बैंकिंग की चुनौती से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं:


भारत में वित्तीय समावेश का पहला प्रयास 2005 में इंडियन बैंक के चेयरमैन के सी चक्रवर्ती ने शुरू किया था। मंगलम गांव भारत का पहला गांव बना जहां सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की गयी। अब आरबीआई भी नये उत्पादों के प्रावधानों, विनियामक दिशानिर्देशों में छूट और टिकाऊ एवं गणनीय समावेश प्रदान करने के लिए अन्य सहायक उपायों के माध्यम से मिशन मोड में वित्तीय समावेश की पहल कर रहा है। इनमें से कुछ कदम हैं: छोटी जमा और ऋण के लिए नो फ्रिल अकाउंट्स और जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) की सुविधा, 50,000 रुपये से कम की वार्षिक जमा के साथ खाते खोलने के इच्छुक लोगों के लिए मानदंडों को सरल बनाना। गरीबों और वंचितों को आसानी से ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें जीसीसी जारी किये गये। किसानों को परेशानी मुक्त और समय पर ऋण प्रदान करने के लिए सितंबर 2016 तक, पांच करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किये गये हैं। जनवरी 2006 में आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों को वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्यस्थों के रूप में गैर-

आरेख 2: भारत में बीसी के मार्ग में बाधाएं

अधिक व्यवसाय करने के मार्ग में सबसे बड़े बाधक

यह बिंदु संभावित ग्राहकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अधिक महत्वाकांक्षी तरीके से मार्केटिंग करने की जरूरत को इंगित करता है।

यह जून 2015 में इंटरमीडिया की वेब 2 रिसर्च रिपोर्ट से सिद्ध हुआ है जो यह कहती है कि भारत में 48 प्रतिशत बैंक खाते निष्क्रिय हैं। भारत सरकार की पीएमजेडीवाई वेबसाइट भी कहती है कि 46 प्रतिशत खातों में बैलेंस नहीं है।



सरकारी संगठनों (एनजीओ/एसएचजी), लघु ऋण संस्थानों और नागरिक समाज के अन्य संगठनों की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी। ये मध्यस्थ वाणिज्यिक बैंकों की ओर से बिजनेस फेसिलिटेटर्स या बिजनेस कॉरिसपोन्डेंट्स के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों को 100 प्रतिशत वित्तीय समावेश अभियान शुरू करने का भी निर्देश दिया है, जिसके परिणामस्वरूप पुद्दुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य ने अपने सभी जिलों में 100 प्रतिशत वित्तीय समावेश की घोषणा की है। यह आरबीआई का लक्ष्य है कि वह 2020 तक 60 करोड़ नये ग्राहकों

भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों को 100 प्रतिशत वित्तीय समावेश अभियान शुरू करने का भी निर्देश दिया है, जिसके परिणामस्वरूप पुद्दुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य ने अपने सभी जिलों में 100 प्रतिशत वित्तीय समावेश की घोषणा की है। यह आरबीआई का लक्ष्य है कि वह 2020 तक 60 करोड़ नये ग्राहकों के खाते खोले और आईटी का लाभ उठाते हुए उन्हें विभिन्न सेवाएं प्रदान करे।

के खाते खोले और आईटी का लाभ उठाते हुए उन्हें विभिन्न सेवाएं प्रदान करे। हालांकि कई राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता और कम आय, बचत व बैंक शाखाओं की कमी जैसे अवरोध मौजूद हैं और यहां कानूनी और वित्तीय संरचना भी अपर्याप्त है।

यहां हम एक-एक करके कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे :

1. बीसी मॉडल गरीब गांवों में अच्छी तरह से काम करे, इसके लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है:

- कम आय वाले और कम मात्रा में लेनदेन करने वाले ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के कारण बीसीज को पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होती। बीसी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए उन्हें बैंकों द्वारा पर्याप्त रूप से मुआवजा देने की आवश्यकता है ताकि वे ग्रामीणों को उनकी दहलीज तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित हो सकें।
- बीसी के कामकाज के निरीक्षण, नकदी प्रबंधन और ग्राहकों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए बैंकों को उचित दूरी पर छोटी ब्रिच और मोटर शाखाएं खोलनी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त बैंकों को बीसी के प्रभावी कामकाज के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम



आरंभ करने की जरूरत है।

2. सस्ती दरों पर गरीब ग्रामीणों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त नये उत्पादों को डिजाइन करना एक अनिवार्यता है।

- ग्रामीणों को साहूकारों से उधार न लेना पड़े इसके लिए बैंकों को सरल ऋण वितरण प्रक्रियाओं का विकास करना चाहिए और उनकी प्रक्रियाओं में लचीलापन भी होना चाहिए।

3. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के परिवेश में तकनीक ही वह मुख्य साधन है जो अधिक से अधिक समावेश कर सकता है।

- ग्रामीणों को सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों को अपने एटीएम नेटवर्क को ग्रामीण और बिना बैंक वाले क्षेत्रों में बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता अभियानों को भी शुरू किया जाना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी लेनदेन के साथ जुड़ी लागत को कम करने के लिए घरेलू रूपे कार्ड का उपयोग बढ़ाया जा सकता है।
- हालांकि हमारे देश के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पहले से ही केसीसी को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कार्डों और रूपे केसीसी में रूपांतरित करने के लिए कई नये कदम उठाए हैं। बैंक बहुउद्देशीय कार्ड जारी करने की संभावना तलाश सकते हैं जो डेबिट कार्ड, केसीसी और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार जीसीसी के रूप में कार्य कर सकते हैं।

रूपांतरित करने के लिए कई नये कदम उठाए हैं। बैंक बहुउद्देशीय कार्ड जारी करने की संभावना तलाश सकते हैं जो डेबिट कार्ड, केसीसी और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार जीसीसी के रूप में कार्य कर सकते हैं।

- ग्रामीण भारत में मार्च 2017 तक 50 करोड़ 60 लाख मोबाइल उपभोक्ता हैं। इस बात का विकल्प तलाशा जा सकता है कि एक एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए एन्क्रिप्टेड एसएमएस आधारित फंड ट्रांसफर का प्रयोग किया जाए और वह एप्लीकेशन किसी भी प्रकार के मोबाइल पर सहजता से चलायी जा सके।
- हाल के नाबार्ड सर्कुलर के प्रावधानों के अनुसार बैंक पीएसीज़ का उपयोग कर सकते हैं जो बिजनेस कॉरिसपॉन्डेंट्स

हमारे देश के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पहले से ही केसीसी को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कार्डों और रूपे केसीसी में रूपांतरित करने के लिए कई नये कदम उठाए हैं। बैंक बहुउद्देशीय कार्ड जारी करने की संभावना तलाश सकते हैं जो डेबिट कार्ड, केसीसी और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार जीसीसी के रूप में कार्य कर सकते हैं।

के रूप में सहकारी समितियों का सबसे बड़ा ग्रामीण नेटवर्क है।


- चूंकि प्रवासी लोगों के लिए रेमिटेंस सुविधा सर्वोपरि है इसलिए प्रवासियों को आसान और सस्ती रेमिटेंस सुविधाएं प्रदान करना एक अनिवार्य शर्त है।
- गरीब ग्रामीणों के साथ काम करने के लिए बैंकों को बैंकिंग के मानवीय पक्ष के संबंध में अपने कर्मचारियों को बीसी को लैस करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना होगा।
- अर्थपूर्ण वित्तीय समावेश करने के लिए बैंकों को बड़े किसानों की तुलना में छोटे किसानों को ऋण देने को वरीयता देनी चाहिए।
- बैंकों को अपने सीबीएस प्लेटफार्मस की स्केलेबिलिटी सुनिश्चित करनी चाहिए।
- ग्रामीण बैंकिंग के लिए प्रभावी ढंग से इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण प्रणाली को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- रोजगार और अन्य अवसरों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण अवशोषण क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार/बैंकों को कदम उठाने चाहिए।
- नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की संख्या मार्च 2010 में 33,378 से बढ़कर मार्च 2016 में 51,830 हो गयी। जबकि ग्रामीण भारत में शाखाहीन बैंकिंग आउटलेट की संख्या मार्च 2010 के 34,316 से बढ़कर मार्च 2016 में 534,477 हो गयी है। यह शाखाहीन बैंकिंग के जरिए बैंकिंग सेवाओं की एक प्रभावशाली आउटरीच दिखाता है। फिर भी निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में मार्च 2017 तक कुल शाखाओं में ग्रामीण शाखाओं की हिस्सा सिर्फ 20 प्रतिशत है इसलिए निजी बैंकों द्वारा ग्रामीण शाखाओं की संख्या में वृद्धि करने की अत्यंत आवश्यकता है।
- कथित तौर पर भारत में 6 लाख में से करीब 18000 गांवों में बिजली नहीं है

इसलिए सरकार को पर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसे भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी, निरंतर बिजली आपूर्ति आदि के संबंध में प्रयास करने की आवश्यकता है।

- सभी बैंकों को भाषाई होने की जरूरत है, कम से कम प्रमुख भाषाओं में। वित्तीय साक्षरता के अभियान के अंग के रूप में बैंकों को आम जनता के मन से अंग्रेजी भाषा का भय भी समाप्त किया जाना चाहिए।
- भारत में 1,54,882 डाकघरों के साथ विश्व का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है जिसमें 1,39,182 (89.86 प्रतिशत) डाक घर ग्रामीण इलाकों में हैं। इसके मद्देनजर यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि पोस्ट ऑफिस उनके ज्ञात लाभों के कारण अधिक से अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं। भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक बैंक की शुरुआत निस्संदेह इस दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।
- हालांकि नाबार्ड का एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा लघु ऋण कार्यक्रम बन गया है। लघु उद्यम संबंधी मुद्दों पर उनकी स्थिरता और क्रमिक वृद्धि अभी देखी जानी बाकी है।
- बीसी सेवाओं के प्राप्तकर्ता अधिकतर अशिक्षित और तकनीक से अनजान हैं जिनके कारण बीसी द्वारा उनका गलत मार्गदर्शन किया जाना संभव है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने उपरोक्त मुद्दों को हल करने के लिए हाल ही में विभिन्न उपाय किये हैं जैसे:

1. जन धन योजना के तहत लगभग 26 करोड़ खातों को खोलने में सफलता।
2. लघु ऋण प्रदान करने के लिए सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) की स्थापना।
3. विभिन्न सामाजिक योजनाएं जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीएमए योजना, जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगी।

आरेख 3: ग्रामीण बैंकिंग- दृष्टिकोण 2025



4. बैंकिंग करिसर्पॉन्डेंट्स और बिजनेस फेसिलिटेटर्स के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना।
5. क्रेडिट और डेबिट लेनदेन पर प्रस्तावित रियायतें।
6. नकद लेनदेन के बजाय माइक्रो एटीएम और रुपये कार्ड्स आधार से लिंक किये गये।
7. 11 भुगतान बैंकों और 10 छोटे वित्त बैंकों को नये लाइसेंस देकर अंतर बैंकिंग को बढ़ावा देना।
- हालांकि इन कार्यक्रमों को भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है: पीएमजेडीवाई में खातों की बहुलता की समस्या है। पीएमजेडीवाई के तहत

खोले गये खातों में बड़ी संख्या में कोई पैसा नहीं है और ये निष्क्रिय हैं। इससे इन खातों को चलाने से बैंकों की लागत बढ़ती है। गरीब लोगों की कमायी गुजर-बसर लायक ही होती है और उनकी कोई नियमित कमायी नहीं होती। उनके पास बैंक खाते में बचत करने या किसी भी अन्य वित्तीय साधन की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। नतीजतन उनके वित्तीय समावेश का कोई अर्थ नहीं है।

- प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं जैसे जनधन, आधार और मोबाइल (जेएमए) को जोड़ने का काम धीमा है।
- भुगतान बैंकों की पहुंच व्यापक है लेकिन उन्हें कई समस्याओं से निपटने की जरूरत है जैसे जटिल यूजर इंटरफेस, इंटरनेट की कमी, शिकायत निवारण तंत्र का न होना, जो उपयोगकर्ताओं के लिए परेशानियां पैदा करता है। इसके अतिरिक्त आरबीआई नये भुगतान बैंकों की जिम्मेदारी बढ़ाएगा, विशेष रूप से उत्तरदायित्व के संबंध में।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में देरी या लाभ प्रदान करने से इनकार करने की स्थिति में बैंक के अधिकारियों को मध्यस्थों का सहयोग लेना पड़ सकता है।

भारत में 1,54,882 डाकघरों के साथ विश्व का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है, जिनमें 1,39,182 (89.86 प्रतिशत) डाक घर ग्रामीण इलाकों में हैं। इसके मद्देनजर यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि पोस्ट ऑफिस उनके ज्ञात लाभों के कारण अधिक से अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं। भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक बैंक की शुरुआत निस्संदेह, इस दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।

- भुगतान बैंकों के विस्तार से बैंकों को नियमित रूप से प्राप्त होने वाले शुल्क से वंचित रहना पड़ सकता है जो वे ग्राहकों से वसूलते हैं, जैसे डिमांड ड्राफ्ट, नकद हस्तांतरण, रेमिटेंस, चेक के माध्यम से नकद निकासी और एटीएम लेनदेन शुल्क।
- पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीआई जैसी योजनाएं इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करती हैं कि बैंक सफलतापूर्वक गरीबों तक पहुंच बनाता है और यह एक महती काम है। चूंकि बहुत से लोगों को पेंशन या बीमा उत्पादों के बारे में जानकारी ही नहीं है।
- बहुत सारे मामलों में बिजनेस कॉर्रिस्पॉन्डेंट्स पर पैसे वसूलने का आरोप लगाया गया है।
- बैंकिंग प्रौद्योगिकी संबंधी धोखाधड़ी की दर खतरनाक तरीके से बढ़ रही है।
- ग्रामीण और पश्चिमी क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी अभी भी खराब स्थिति में है।
- प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण उचित लोगों तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि बहुत से

यह उम्मीद की जा सकती है कि ग्रामीण वित्तीय प्रणाली का आकार और दायरा बढ़ेगा और ग्रामीण वित्त की चुनौतियों का हल होगा। साथ ही ग्रामीण जनता में भी मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से सुधार होगा। आइए ग्रामीण बैंकिंग की अंतर्निहित परिकल्पना को साकार रूप दें।

बैंक गरीबों को उधार नहीं देते। इसलिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वे ऐसे लोगों को ऋण देते हैं जो धोखाधड़ी से दस्तावेज बनाते हैं। उदाहरण के लिए स्वर्ण ऋण सस्ती दरों पर किसानों के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन जो लोग खेती भी नहीं करते वे बैंकों से अपने संपर्कों का उपयोग करते हुए ये ऋण प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह प्राथमिक क्षेत्र के ऋण उचित से अनुचित लोगों को मिल जाते हैं। सरकार को इस मुद्दे पर गौर करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित आवेदकों को ऋण प्रदान किया गया है और धोखाधड़ी से आवेदन करने वालों और बैंक के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गयी है।

उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक एक अनुकूल विनियामक वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जहां संस्थाएं गरीबों को सहजतापूर्वक वित्तीय सेवाएं प्रदान करें और वित्तीय स्थिरता पर खतरा न मंडराए। बैंकों को भी अपने वित्तीय दर्शन के साथ समावेश की रणनीति निर्धारित करने और इसे एक व्यावसायिक गतिविधि के रूप में आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाए। वे जोखिम को समझते हुए अपने वित्तीय उत्पाद बनाने के लिए आजाद हों। जबकि कुछ ही वित्तीय सेवा प्रदाताओं खासकर लघु ऋण सेवा प्रदाताओं, को बैंक बनने की अनुमति दी गयी है और प्राथमिक क्षेत्र के ऋणों को ध्यान में रखते हुए विदेशी बैंकों के प्रवेश के अतिरिक्त छोटे बैंकों एवं भुगतान बैंकों को लाइसेंस दिया गया है। यह उम्मीद की जा सकती है कि ग्रामीण वित्तीय प्रणाली का आकार और दायरा बढ़ेगा और ग्रामीण वित्त की चुनौतियों का हल होगा। साथ ही ग्रामीण जनता में भी मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से सुधार होगा। आइए ग्रामीण बैंकिंग की अंतर्निहित परिकल्पना को साकार रूप दें। □

डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/एईपीएस लेन-देन में एमडीआर शुल्क पर छूट को अनुमोदन

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह अनुमोदित किया कि सभी डेबिट कार्डों / भीम यूपीआई / आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) लेनदेनों पर लागू होगी, जिसमें 2000 रुपए तक की व्यापारी छूट दर (एमडीआर) को सरकार बैंकों को इसकी प्रतिपूर्ति करके स्वयं वहन करेगी जो 1 जनवरी, 2018 से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, सचिव, इलैक्ट्रॉनिक्स और आईटी तथा सीईओ, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की सदस्यता वाली समिति ऐसे लेनदेनों की उद्योग लागत संरचना को देखेगी जो प्रतिपूर्ति के स्तर के निर्धारण के आधार का निर्माण करेगी।

इस अनुमोदन के परिणामस्वरूप, 2000 रुपए से कम के लेनदेनों के लिए उपभोक्ता और व्यापारी को एमडीआर के रूप

में अतिरिक्त भार वहन नहीं करना पड़ेगा जिससे ऐसे लेनदेन के लिए भुगतान के डिजिटल तरीकों को अपनाया जाएगा। चूंकि ऐसे लेनदेन की बड़ी संख्या है इसलिए इससे अर्थव्यवस्था में नकदी के कम इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा।

अनुमान है कि 2000 से कम के लेनदेन के संबंध में बैंकों को की जाने वाली एमडीआर की प्रतिपूर्ति का मूल्य वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1,050 और वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1,462 करोड़ रुपए होगा।

जब व्यापारी के बिक्री केंद्र पर भुगतान किया जाता है तो व्यापारी द्वारा बैंक को एमडीआर देय होता है। इस कारण कई लोग डेबिट कार्ड होने के बावजूद नकद भुगतान करते हैं। इसी प्रकार, भीम यूपीआई और एईपीएस के जरिए व्यापारी को किए गए भुगतान पर एमडीआर लगाया जाता है। □